FORM No-III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत : अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (भूमिधारी), सोजत जिला पाली		भलाराम पुत्र मूलाराम कौम सरगरा निवासी बिलावास तहसील सोजत जिला पाली

किस्म मुकदमा :: राजस्व विविध संख्या 057/2020

(आर0सी0एम0एस0 प्रकरण संख्या 2020/00008)

अन्तर्गत धारा 14 (4) राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन) नियम 1970

तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय अनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
16.01.2020	यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी तहसीलदार, सोजत ने अन्तर्गत धारा 14 (4) राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन) नियम 1970 के अप्रार्थी के पक्ष में मौजा बिलावास, पटवार मण्डल बिलावास के खसरा नम्बर 1034 रकबा 0.43 है. किस्म बारानी दोयम एवं खसरा नम्बर 1276 रकबा 0.15 है. किस्म बारानी अव्वल का आवंटन उपखण्ड अधिकारी, सोजत द्वारा करने से एवं उक्त आवंटन की पालना में पारित नामान्तरकरण संख्या 305 दिनांक 02.05.1986 दर्ज किया गया। अप्रार्थी द्वारा आवंटन की शर्तो की पालना नहीं करने से आवंटन आदेश एवं उसकी पालना में पारित नामान्तरकरण को निरस्त कराकर, उक्त भुमि को सिवायचक दर्ज कराने हेतु पेश किया है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के संलग्न अप्रार्थी के हक में उपखण्ड अधिकारी, सोजत द्वारा किए गए आवंटन के आदेश की प्रमाणित प्रति संलग्न नहीं की गई है, न ही इसके संबंध में कोई प्रमाण पत्र पेश किया है। जो किए जाने के विधि में आज्ञापक प्रावधान है। इसके अतिरिक्त रेवेन्यू कोर्ट मैन्यूअल 1956 खण्ड I के अध्याय 4 के नियम 17 (क से घ) की पालना की जानी आज्ञापक है। अतः यह स्थिति रेवेन्यू कोर्ट मैन्यूअल 1956 खण्ड II के अध्याय 2 के नियम 30 का उल्लंघन है। अतः रेवेन्यू कोर्ट मैन्यूअल 1956 के अध्याय 2 के नियम 21 के तहत तहसीलदार सोजत द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पोषणीय नही होने से खारिज किया जाता है तथा प्रकरण इस आशय से प्रार्थी तहसीलदार, सोजत को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे आवंटन आदेश की प्रमाणित प्रति एवं अन्य संबंधित दस्तावेजो के साथ पन्द्रह दिवस के भीतर पुनः नए सिरे से न्यायालय में पेश करे। निर्णय की प्रति तहसीलदार सोजत को वास्ते आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जावें। बाद पालना पत्रावली इस न्यायालय से शुमार फैसल होकर नम्बर से कम हो। अतिरिक्त जिला कलेक्टर,पाली	